

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 12 अगस्त, 2024

निम्न मामले में:

जमानत आवेदन 2415/2024

मोहन कुमार

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री बिश्वजीत स्वैन, श्री अरशद खान,
सुश्री रज़िया सुल्ताना और श्री अखिल
गंगा, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमन उस्मान, राज्य के
अति.लो.अभि. श्री आदित्य कपूर, श्री
मयूर सिंघल, सुश्री भव्या सिंह, सुश्री
हिमानी सिंह, प्र-2 के अधिवक्तागण।
एस.आई. किरण दयाल, डी-2009,
थाना मोती नगर

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय (मौखिक)

1. वर्तमान आवेदन प्राथमिकी संख्या 305/2024 दिनांक 31.05.2024, जो धारा 328/376(2)(ढ़)/508 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मोती नगर में पंजीकृत है, में जमानत देने के लिए भा.ना.सु.सं. की धारा 483 सहपठित धारा 528 के तहत दायर किया गया है।

2. संक्षेप में, आवेदन दाखिल करने से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:

क. अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि वह अक्टूबर 2014 में कीर्ति नगर के एक कार्यालय में याचिकाकर्ता से मिली थी, जहाँ वे साथ काम कर रहे थे और दोस्त बन गए। यह कहा गया है कि कुछ समय बाद याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री से कहा कि वह उसे पसंद करता है और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यह कहते हुए उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया कि वे अलग-अलग जाति के हैं। हालाँकि, वह उसका पीछा करता रहा और उसने बताया कि उसने अपने परिवार को उसके बारे में बता दिया है और इसके बाद याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच संबंध बन गए।

ख. 30.05.2018 को याचिकाकर्ता अभियोक्त्री को नोएडा के एक होटल में ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर उसे जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। अभियोक्त्री का आरोप है कि याचिकाकर्ता अभियोक्त्री को कई अन्य मौकों पर भी विभिन्न

होटलों में ले गया, जिनकी बुकिंग याचिकाकर्ता ने अपने एचडीएफसी कार्ड के माध्यम से की थी।

ग. अभियोक्त्री द्वारा आरोप लगाया गया है कि जनवरी 2023 में याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री के पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसे मोती नगर के वेस्ट सोसाइटी क्लब होटल में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री की अश्लील तस्वीरें खींची और वीडियो बनाई। यह कहा गया है कि 17 जुलाई 2023 को अभियोक्त्री याचिकाकर्ता के घर गईं लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता से उनकी शादी के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच काफी झगड़ा हुआ और फिर याचिकाकर्ता ने चीजों को एक साथ सुलझाने के लिए अभियोक्त्री को 07.08.2023 को वेस्ट सोसाइटी क्लब होटल, मोती नगर बुलाया, जहां उसने फिर से अभियोक्त्री से शादी का झूठा वादा किया और कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती की।

घ. 01.02.2024 को, अभियोक्त्री धारा 376(2)(ढ) के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना सुभाष प्लेस गईं, इसकी सूचना मिलने पर याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने कहा कि वे उनकी

शादी करवा देंगे और 05.02.2024 को वे आर्य समाज मंदिर गए और शादी कर ली। आरोप है कि सप्तपदी की रस्म नहीं निभाई गई। कहा जाता है कि केवल विवाह प्रमाणपत्र बनाया गया और तस्वीरें खींची गईं। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को अपने घर ले जाने से भी इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह केवल बलात्कार के मामले से बाहर निकलने के लिए था और अभियोक्त्री को उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी।

- ड. यह कहा गया है कि विवाह को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है।
- च. अभियोक्त्री पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और दिनांक 17.05.2024 के आदेश के माध्यम से, धारा 328/376(2)(ढ)/506 भा.दं.सं. के तहत वर्तमान प्राथमिकी 31.05.2024 को पुलिस थाना मोती नगर में दर्ज की गई और जांच शुरू हुई।
- छ. यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता को 12.06.2024 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 14.06.2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

- ज. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री इंगित करती है कि वर्तमान मामले में अभी तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।
- झ. 04.07.2024 को याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया और उक्त आवेदन को दिनांक 04.07.2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।
- ञ. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जमानत की माँग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
3. 15.07.2024 को नोटिस जारी किया गया था और स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठे तौर पर फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए दायर याचिका के जवाब में दर्ज की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित अपराध पहली बार 2018 में किया गया था, जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है, हालांकि, वर्तमान प्राथमिकी 31.05.2024 को काफी देरी के बाद दर्ज की गई थी, जिसका कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोक्त्री और उसके

माता-पिता ने 2018 से 2024 के बीच पुलिस के समक्ष कथित अपराधों के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच दोस्ती हुई और उन्होंने एक-दूसरे की सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए। आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोक्त्री स्वेच्छा से याचिकाकर्ता के साथ होटल में गई थी, तथा उनके बीच कोई भी बातचीत पूरी तरह से सहमति से हुई थी तथा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. और अभियोक्त्री के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ 2018 से 2023 तक जबरदस्ती और शादी का वादा करके कई बार बलात्कार किया है। याचिकाकर्ता पर यह भी आरोप है कि वह अप्राकृतिक यौन संबंध में शामिल था और उसने अभियोक्त्री को दो बार गर्भवती किया। विद्वान अधिवक्तागण ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर अभियोक्त्री की अश्लील तस्वीरों और वीडियो को रखने और उनका दुरुपयोग करने का आरोप है और उसने अभियोक्त्री को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) के तहत वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक सप्तपदी अनुष्ठान नहीं किया। इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध की

अभियोक्त्री पक्ष की शिकायतों के कारण, प्राथमिकी के दर्ज होने से बचने के लिए आर्य समाज मंदिर से झूठा विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। आगे यह भी कहा गया है कि कथित विवाह के बाद याचिकाकर्ता न तो अभियोक्त्री को अपने माता-पिता के घर ले गया और न ही उसके साथ संवाद बनाए रखा, जो दर्शाता है कि यह विवाह एक दिखावा था और केवल कानूनी नतीजों से बचने के लिए किया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि विवाह सहमति से और वैध था, हालांकि, उसने अभियोक्त्री पर जबरदस्ती का आरोप लगाते हुए सिर्फ एक महीने बाद ही विवाह को रद्द करने के लिए अर्जी दायर की। यह विरोधाभासी व्यवहार कानूनी प्रक्रिया में हेरफेर करने के प्रयास का संकेत देता है। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोक्त्री ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी कानूनी निकाय से संपर्क नहीं किया क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उसे लगातार वादा किया जा रहा था कि वह उससे शादी करेगा। राज्य और अभियोक्त्री के विद्वान अधिवक्तागण ने कहा कि याचिकाकर्ता पर बहुत गंभीर अपराध का आरोप है और इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

6. विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

7. जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों को शीर्ष न्यायालय द्वारा लगातार स्पष्ट किया गया है। शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड इस प्रकार हैं:

- क. आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
- ख. दोषसिद्धि के मामले में सजा की कठोरता;
- ग. गवाह के प्रभावित होने की उचित आशंका;
- घ. यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;
- ङ. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति
- च. जमानत दिए जाने से न्याय बाधित होने का खतरा।

(संदर्भ लें: राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह व अन्य, (2002) 3 एससीसी 598 और प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य, (2010) 14 एससीसी 496)

8. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री से शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसलिए, याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है, वह सहमति से है और यह सवाल कि सहमति गलतफहमी में दी गई थी या नहीं, विचारण

में देखा जाएगा। यह सुस्थापित है कि वचनकर्ता द्वारा यह समझकर किए गए झूठे वादे कि इसे तोड़ दिया जाएगा, और सद्भावना से किए गए वादे का उल्लंघन, जो बाद में पूरा नहीं किया गया, के बीच अंतर है। (संदर्भ: अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2019) 13 एससीसी 1)

9. शीर्ष न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) 9 एस.सी.सी. 608 मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया है:

"16. जहां शादी करने का वादा झूठा है और वादा करते समय वचनकर्ता का इरादा वादा निभाने का नहीं था, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना था, वहां "तथ्यों का भ्रम" है जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है। दूसरी ओर, किसी वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। झूठा वादा साबित करने के लिए, वादा करने वाले का वादा करते समय अपने वचन को निभाने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था। धारा 375 के तहत महिला की "सहमति" "तथ्यों का भ्रम" के आधार पर दूषित होती है, जहां ऐसी गलत धारणा उसके उक्त कार्य में शामिल होने का आधार थी।"

10. दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एस.सी.सी. 675 में शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"21. ... वादा तोड़ने और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच केवल एक अंतर है। इस प्रकार, न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी द्वारा प्रारंभिक चरण में विवाह का झूठा वादा किया गया था; और क्या यौन

लिप्तता की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद सहमति दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री, अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो जाती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उसे की गई गलत पेशकश के कारण, या जहां अभियुक्त, ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनका वह अंदाजा नहीं लगा सकता था, या जो उसके नियंत्रण से परे थीं, उससे विवाह करने में असमर्थ था, जबकि ऐसा करने का उसका पूरा इरादा था। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही, आरोपी का पीड़िता से शादी करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब सबसे अच्छे इरादे रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से शादी करने में असमर्थ हो। “भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को निभाने में विफलता, उन कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्यों से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, हमेशा तथ्यों का भ्रम के बराबर नहीं होती है। “तथ्यों का भ्रम” शब्द के अर्थ को समझने के लिए, तथ्य का तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए”। ऐसी स्थिति में लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ करने और दूसरे पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए धारा 90 भा.दं.सं. की मदद नहीं ली जा सकती, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त न हो कि शुरू से ही आरोपी का उससे शादी करने का वास्तव में कोई इरादा नहीं था।”

11. अभियोक्त्री के कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच विवाह करने के वादे के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे। क्या अभियोक्त्री के साथ विवाह का वादा करने के बाद संबंध स्थापित किए गए थे या विवाह करने का कोई वादा नहीं किया गया था या विवाह करने के वादे से उत्पन्न गलतफहमी या तथ्य को छिपाने के कारण कोई सहमति थी, यह स्थापित किया जाना चाहिए। तथ्यों के आधार पर यह पता लगाना होगा कि विवाह करने का वादा गलत इरादे से किया गया एक झूठा वादा था, तथा वादा करते समय उसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था।

12. याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री कार्यालय में सहकर्मी थे और चीजों को समझने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच विवाह का प्रमाण पत्र, जो कि आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी किया गया, मौजूद है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह भी संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने विवाह को रद्द करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है। ये तथ्य शादी के झूठे वादे के अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोप की जड़ तक जाते हैं। अभियोक्त्री के अन्य आरोपों को विचारण में साबित करना होगा जिसके लिए याचिकाकर्ता की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

13. याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री दोनों ही कामकाजी व्यक्ति हैं। याचिकाकर्ता की जड़ें समाज में हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि

याचिकाकर्ता न्याय से भाग जाएगा। याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री की सामाजिक स्थिति एक जैसी है और यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की सामाजिक स्थिति ऐसी है जिससे न्यायालय के मन में यह उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता अभियोक्त्री या किसी अन्य गवाह को प्रभावित करने की स्थिति में होगा।

14. याचिकाकर्ता 14.06.2024 से हिरासत में है और इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक है:

क) याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये की राशि की प्रतिभूति देनी होगी तथा दो जमानतदार देने होंगे, जिनमें से एक याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए, तथा यह राशि विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार होगी;

ख) पक्षकारगण के ज्ञापन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता म.सं.380-81, गली नं.1/2, ब्लॉक-जे, खोड़ा कॉलोनी, स्वरूप नगर, दिल्ली में रहता है। याचिकाकर्ता को उसी पते पर निवास करते रहने का निर्देश दिया जाता है और यदि याचिकाकर्ता के पते में कोई बदलाव होता है तो याचिकाकर्ता को इसकी सूचना जांच अधिकारी को देने का निर्देश दिया जाता है।

- ग) याचिकाकर्ता को सप्ताह में एक बार, यानी प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आधे घंटे के भीतर याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया जाएगा।;
- घ) याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने सभी मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को दे और उन्हें हर समय चालू रखे।
- ङ) याचिकाकर्ता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;
- च) याचिकाकर्ता को अभियोक्त्री या उसके परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।
- छ) याचिकाकर्ता न्यायालय की सभी कार्यवाही में शामिल होगा।
- ज) यदि यह साबित हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो याचिकाकर्ता को दी गई जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
29. याचिका का निपटान सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

12 अगस्त, 2024

जे.पी/राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।